कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

प्रशासकीय आदेश संख्या : 103 **दिनांक : अप्रैल , 2021**

आदेश

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक **1944/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 14.04.2021** के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के संचालन हेतु नये दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में जनपद न्यायालय में न्यायिक कार्य संचालन हेतु दिनांक 16.04.2021 से अग्रिम आदेश तक निम्न व्यवस्था की जाती है :–

1. निम्नलिखित मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय न्यायिक कार्यवाही सामान्य रूप से (Physical Mode)/वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से निष्पादित करेंगे :–

क. जनपद न्यायाधीश

ख. विशेष क्षेत्राधिकार से निहित न्यायालय यथा

1. विशेष/अतिरिक्त न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)
2. विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)
3. विशेष/अतिरिक्त न्यायाधीश (मादक पदार्थ एवं मनोत्तेजक औषधि अधिनियम)
4. विशेष/अतिरिक्त न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)
5. विशेष न्यायाधीश (एम.पी. एम.एल.ए.)
6. विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)

ग. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

घ. सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)

ड. सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) शर्की

च. सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) गर्वी

2. उपरोक्त न्यायालय निम्नलिखित न्यायिक कार्य निष्पादित करेंगे :–

अ. लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थनापत्र

ब. लम्बित/नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र

स. आवश्यक प्रकीर्ण आपराधिक प्रार्थनापत्र

द. आवश्यक दीवानी प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र यथा निषेधाज्ञा के प्रकरण

प. ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय का समयबद्ध त्वरित निस्तारण का आदेश हो,

फ. अन्य ऐसे अत्यावश्यक प्रकरण जिनका निस्तारण जिला जज, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी कामर्शियल कोर्ट/ लारा/एम.ए.सी.टी. आवश्यक या उचित समझते हों,

3. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं सिस्टम आफीसर को आदेशित किया जाता है कि वे एक डेडिकेटेड ई–मेल बनाकर उसे जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और उक्त ई–मेल का उपयोग ई–मेल के माध्यम से प्राप्त जमानत प्रार्थनापत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों/अत्यावश्यक प्रार्थनापत्रों को प्राप्त करने में किया जायेगा तथा ऐसी प्राप्त प्रार्थनापत्र को कम्प्यूटर सेक्शन डाउनलोड कर उन्हें सी.आई.एस. पर अपलोड करेंगे तथा सुनवाई हेतु प्रस्तुत करेंगे।

4. उपरोक्त सम्बन्धित न्यायालयों में अधिवक्तागण हेतु मात्र 4 कुर्सियां रखी जायेंगी तथा न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक न्यायिक अधिकारी/अधिवक्तागण/ न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा तथा सुनवाई हेतु सामाजिक एवं भौतिक दूरी के दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. प्राप्त जमानत प्रार्थनापत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों को जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को समयबद्ध तरीके से आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया जायेगा।

6. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं सिस्टम आफीसर को आदेशित किया जाता है कि वे जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लैण्डलाइन/मोबाइल नम्बर को प्रकाशित करेंगे जिसपर सूचीबद्ध मुकदमों की सूचनायें सम्बन्धित पक्षकार/अधिवक्तागण को प्रदान किया जायेगा।

7. जहां पर किसी प्रकरण की सुनवाई वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जानी होगी वहां पर वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के लिंक को सम्बन्धित अधिवक्तागण एवं अभियोजन पक्ष को सूचित किया जायेगा और सम्बन्धित अधिवक्तागण एवं अभियोजन पक्ष उक्त प्रकरण में उक्त लिंक के माध्यम से सहभागिता कर सकेंगे।

8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों को विचाराधीन बन्दियों की रिमाण्ड

कार्यवाही/बन्धपत्रों व रिहाई आदेशों का सत्यापन कार्य सम्पादित करने हेतु नामित करेंगे।

9. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश के व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे।

10. सम्बन्धित अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है वे अपने न्यायालय में कार्यरत कर्मचारीगण में से मात्र 50 प्रतिशत कर्मचारीगण की उपस्थिति रोस्टर पद्यति से कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1 श्री राम किशोर शुक्ल एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 श्री संजय कुमार शुक्ल तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 21 श्री मनीष निगम को जमानत प्रार्थनापत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों/अन्य न्यायिक कार्य की सुनवाई हेतु अतिरिक्त रूप से नामित किया जाता है।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि स्वयं को न्यायिक कार्य में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु पृथक रूप से न्यायिक अधिकारीगण की नियुक्ति हेतु आदेश पारित करेंगे तथा उसे मुझसे अनुमोदित करायेंगे।

13. अन्य न्यायालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारीगण न्यायालय में उपस्थित होकर अपने न्यायालयों में नियत वादों में अग्रिम तिथियां नियत करेंगे।

14. सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) के कार्य में सहयोग किये जाने हेतु –

सोमवार एवं बृहस्पतिवार को– श्री तारकेश्वरी प्रसाद सिंह, अपर सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–13

मंगलवार एवं शुक्रवार को– श्री मोहम्मद साजिद, सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)/एफ.टी.सी.

बुधवार एवं शनिवार (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार के अतिरिक्त) को –श्री मानस वत्स, अपर सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–16

को निर्देशित किया जाता है कि वे चक्रानुसार सहयोग प्रदान करेंगे।

15. सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) शर्की के कार्य में सहयोग किये जाने हेतु –

सोमवार को– श्री आनन्द कुमार अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–10

मंगलवार को–श्री प्रत्यूष आनन्द मिश्र, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–9

बुधवार को –श्री अनिरूद्ध सिंह, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–22

बृहस्पतिवार को –सुश्री अंजालिका प्रियदर्शिनी, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–6

शुक्रवार को –श्रीमती रेखा विश्वकर्मा, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–14

शनिवार (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार के अतिरिक्त) को– सुश्री अनुराधा, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–19

को निर्देशित किया जाता है कि वे चक्रानुसार सहयोग प्रदान करेंगे।

16. सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) गर्वी के कार्य में सहयोग किये जाने हेतु –

सोमवार को– सुश्री सोनल उपाध्याय अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–12

मंगलवार को–श्रीमती रंजना, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–18

बुधवार को –श्रीमती पिंकी वर्मा, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–17

बृहस्पतिवार को –श्रीमती खैरून्निसां, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–8

शुक्रवार को –सुश्री दिव्या सिंह, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–7

शनिवार (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार के अतिरिक्त) को– सुश्री ज्योति प्रकाश सिंह, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष सं0–15

को निर्देशित किया जाता है कि वे चक्रानुसार सहयोग प्रदान करेंगे।

17. सभी विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारियों को निर्देशित किया जाता है कि केवल वे ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे जिनके मामले सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हों।

18. प्रभारी अधिकारी स्टेटमेंट को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त न्यायालयों से निस्तारित मामलों की सूची प्राप्त कर उसे समेकित करेंगे एवं मेरे माध्यम से दिन–प्रतिदिन सी.पी.सी. माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करायेंगे।

19. समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

20. उपरोक्त न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के आशुलिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे अग्रिम आदेश तक अपनी उपस्थिति मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय इलाहाबाद के कार्यालय में दर्ज करायेंगे जिससे उन्हें उपरोक्त न्यायालयों में कहीं पर अतिरिक्त कार्य होने पर/यथा आवश्यक होने पर सम्बन्धित न्यायालय में कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सके।

21. उपरोक्त न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय में लम्बित समस्त प्रकृति

के जमानत प्रार्थनापत्रों की सूची दिनांक 16.04.2021 की सायं 5.00 बजे तक प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे जिससे कि उन्हें उपरोक्त सम्बन्धित न्यायालयों में निस्तारण हेतु अन्तरित किया जा सके।

22. इस आदेश को जनपद न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

23. समस्त पीठासीन अधिकारीगण को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्रांक में उपबन्धित ऐसे प्रकरणों में जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय का समयबद्ध निस्तारण का आदेश हो, उनमें मुझे सूचना देकर ऐसे प्रकरणों की सुनवाई सुनिश्चित करें।

तदनुसार सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(अमर जीत त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

दिनांक : अप्रैल 15,2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला अधिकारी, प्रयागराज
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन, प्रयागराज
4. जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता–सिविल
5. अध्यक्ष एवं महामंत्रीगण, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद।
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इलाहाबाद।
7. वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
8. जनपद न्यायालय इलाहाबाद के समस्त पीठासीन अधिकारीगण।
9. नोडल आफिसर/सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, इलाहाबाद।

(अमर जीत त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

दिनांक : अप्रैल 15, 2021